ई-11015/3/2015-हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

हिन्दी प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 02.01.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि की तिमाही रिपोर्ट हिंदी प्रभाग को उपलब्ध करवाना ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/ कार्यालय /विभाग से तिमाही रिपोर्ट तिमाही समाप्त होने के एक माह के भीतर ऑनलाइन भेजना अनिवार्य है। राजभाषा विभाग से तिमाही रिपोर्ट समय पर भेजने के लिए बार-बार निदेश प्राप्त होते हैं। अत: मंत्रालय के सभी प्रभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी अनुभागों की दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर हिन्दी प्रभाग को 10 जनवरी, 2024 तक उपलब्ध करवाएं ताकि सभी प्रभागों से प्राप्त रिपोर्ट को समेकित कर समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भिजवाया जा सके। उक्त रिपोर्ट का प्रोफोर्मा इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रभागाध्यक्ष कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े सही हों और सभी कॉलम भरे जाएं।

यह भी सूचित किया जाता है कि इस माह में हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक भी माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रस्तावित है जिसमें सभी अनुभागों/प्रभागों दवारा दिए गए आंकड़ों पर चर्चा होगी।

संलग्नकः यथोपरि।

सन्तोष

(संतोष सिल्पोकर)
निदेशक (रा0भा0)

सेवा में,

1. मंत्रालय के सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव
2. अनुभाग अधिकारी (एन.आई.सी.) - कृपया का.ज्ञा.को वेबसाइट पर डालें तथा संलग्नक निर्धारित प्रपत्र को स्थायी प्रोफार्मा में डलवाएं।

प्रतिलिपि:

मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही
(01.10.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि)

भाग-I (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर भरा जाए)

अनुभाग/प्रभाग का नाम ____________________

रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम/दूरभाष संख्या/ईमेल

____

1. **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात**

[**सामान्य आदेश** (general orders), **अधिसूचनाएं** (notification), **प्रेस विज्ञप्तियां** (press communiqués), **संविदाएं** (contracts), **करार** (agreements), **लाईसेंस** (license), **परमिट**(permit), **टेंडर के फार्म और नोटिस** (notice and forms of tender), **संकल्प** (resolutions), **नियम** (rule), **संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज पत्र** (official papers laid before a House or both the Houses of parliament), **संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट** (administrative and other reports laid before a House or both the Houses of parliament), **प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजी गई हैं** (administrative and other reports sent to higher offices)]

(क) जारी कागजात की कुल संख्या ____________

(ख) दविभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या ____________

(ग) केवल अंग्रेजी में जारी किये गए कागजात ____________

(घ) केवल हिंदी में जारी किये गए कागजात ____________

•संघ की राजभाषा नीति के अनुसार धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले पत्रों को द्विभाषी जारी करना अनिवार्य है।

2. **हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम 5)**

(क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या ____________

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए ____________

(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए ____________

(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे ____________

• राजभाषा नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है।

3. **अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)**

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे
'क' क्षेत्र				
'ख' क्षेत्र				

4. **<u>भेजे गये मूल पत्रों का ब्यौरा</u>**

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या
'क' क्षेत्र को			
'ख' क्षेत्र को			
'ग' क्षेत्र को			

***'क' क्षेत्र-** बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
'ख' क्षेत्र- गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
'ग' क्षेत्र - 'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

5. **<u>फाइलों / दस्तावेजों पर टिप्पणी लेखन का ब्यौरा</u>**

(क) हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या __________

(ख) अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या __________

(ग) टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या __________

* हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा समझा जाए।

अनुभाग/ प्रभाग के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर(मोहर सहित) ______________________

नाम ______________________

पदनाम ______________________

ईमेल ______________________

नोटः कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

***